चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 26.07.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की

(2). आज दिनाँक 26.07.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में एसओजी/सर्विलांस एवं थाना कोतवाली कर्वी की संयुक्त टीम द्वारा चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुये पुलिस अभिरक्षा से फरार अभियुक्त को चोरी का लाखों का माल व 01 अदद तमंचा तथा घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

शिवबली पुत्र राज कुमार निवासी मनकुवार थाना मऊ जनपद चित्रकूट

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 415/2024 धारा 457,380,411 भा0द0वि0 थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट

2.मु0अ0सं0 82/2024 धारा 457,380,411 भा0द0वि0 थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट

3.मु0अ0सं0 89/2024 धारा 457,380,411 भा0द0वि0 थाना रैपुरा जनपद जनपद चित्रकूट

4.मु0अ0सं0 481/2024 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट

5. मु0अ0सं0 482/2024 धारा 261,262 बी0एन0एस0 थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट

बरामदगी-

(1) 01 अदद हार पीली धातू

(2) 01 अदद अंगूठी पीली धातु

(3) 01 अदद नथिया पीली धातु

(4) 01अदद मांग टीका पीली धातु

(5) 02 जोड़ा पायजेब सफेद धातु

(6) 01 जोड़ा पायल सफेद धातु

(7) 10,500 रूपया नगद (कुल 21 नोट 500)

(8) 01 जोडा झुमका पीली धातू

(9) 01 अदद मंगलसूत्र काले रंग की मोती धागे में पीली धातु

(10) 01 अदद करधनी सफेद धातु

(11) 01 जोड़ा पायल लाल नीला नग लगा हुआ सफेद धातु

(12) 02 अदद पंखा हेवेल्स,सफेद 03 पत्ती, चाकलेटी रंग 03 पत्ती

(13) 01 अदद तमंचा 315 बोर

(14) 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

(15) घटना में प्रयुक्त बुलेट मोटर साइकिल लाल-काला नं0 UP 96 P 1127

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 25.06.2024 को वादी मोहम्मद सईम पुत्र मोहम्मद हकीम निवासी कालूपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट ने सूचना दी थी कि दिनांक 10/11.04.2024 को लगभग 12.01 बजे रात में अज्ञात चोरो द्वारा घर में रखे सोने का हार एक नग,मंगलसूत्र एक नग सोने का,एक नग कानों की झूमकी सोने की,एक

नग सुई धागा कानों का सोने की,एक अंगूठी सोने की,टीका बेसर नथिया सोने की, तीन नग पायल चाँदी की, पैरो की पायजेब चाँदी की व एक मोबाइल विवो कम्पन्नी की चोरी कर लिया था। घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 415/2024 धारा 457,380 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा घटना का संज्ञान लेकर प्रभारी एसओजी श्री एम.पी. त्रिपाठी एवं प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह को घटना के अनावरण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये थे। एसओजी/सर्विलांस टीम एवं थाना कोतवाली कर्वी में नियुक्त उ0नि0 श्री अनिल कुमार मिश्रा की संयुक्त टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुये मुखबिर की सूचना पर दिनाँक 24.07.2024 की रात्रि लगभग 21.05 बजे बघौड़ा तालाब के पास गांव की तरफ जाने वाली रोड से 200 मीटर आगे अभियुक्त शिवबली पुत्र राज कुमार निवासी मनकुवार थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक बैग में 01 अदद हार पीली धातू, 01 अदद अंगूठी पीली धातु, 01 अदद नथिया पीली धातु, 01 मांगटीका पीली धातु, 02 जोड़ा पायजेब सफेद धातु, 01 जोड़ा पायल सफेद धातु,10,500 रूपया नगद (कुल 21 नोट 500 की), 01 जोडी झुमका पीली धातू , 01 अदद मंगलसूत्र काले रंग की मोती धागे में पीली धातू , 01 अदद करधनी सफेद धातू, 01 जोड़ी पायल लाल नीला नग लगा हुआ सफेद धातू , 02 अदद पंखा मशीन हेवेल्स सफेद 03 पत्ती व चाकलेटी रंग 03 तथा पैन्ट से 01 अदद तमंचा 315 बोर , 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, घटना में प्रयुक्त बुलेट मोटर साइकिल लाल-काला नं0 UP 96 P 1127 बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त ने पूंछतांछ में बताया कि दिनाँक 10,11.04.2024 को ग्राम कालूपुर पाही से, दिनाँक को 22.05.2024 पूर्व माध्यमिक विद्यालय लालापुर से तथा दिनाँक 15.05.2024 को ग्राम पहरा से मैने अपने साथी बबलू पासी पुत्र प्रेमनारायण निवासी मनकुवार थाना मऊ जनपद चित्रकूट के साथ मिलकर चोरी की थी। जिसके सम्बन्ध में जानकारी करने पर पता चला की दिनाँक 15.05.2024 को ग्राम पहरा थाना भरतकूप में हुई चोरी के सम्बन्ध में वादी श्री गंभीर पुत्र ओमकार उर्फ भोला सिंह निवासी पहरा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट द्वारा थाना भरतकूप में मु0अ0सं0 82/2024 धारा 457,380 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया है। दिनाँक 22.05.2024 की चोरी की घटना के सम्बन्ध में थाना रैपुरा प्रभारी से सम्पर्क किया गया तो बताया गया कि वादिया श्रीमती चन्दा देवी पत्नी स्व0 सुभाष चन्द्र पाठक (प्रधानाध्यपक) पूर्व माध्यमिक विद्यालय लालापुर क्षेत्र मानिकपुर थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दी गयी थी कि ग्रीष्मकालीन अवकाश में विद्यालय बन्द होने के कारण विद्यालय में लगे 02 अदद सीलिंग पखें तथा विज्ञान कक्ष में रखे 50 किलोंग्राम की एम0डी0एम0 का गेंहू की बोरी की चोरी के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 89/2024 धारा 457,380 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया है। उपरोक्त बुलेट मोटरसाइकिल के बारे में पूंछने पर बताया कि मनोरमा सिंह के यहाँ खड़ी रहती है जिसको मांगकर मैं चलता हूँ यह सब चोरिया इसी बुलेट मोटर साइकिल से किया हूँ। इन चोरियों में मेरे साथ मेरे गाँव का ही बबलू पासी पुत्र प्रेमनारायण निवासी मनकुवार थाना मऊ जनपद चित्रकूट भी था जिसके पास कालूपुर पाही की चोरी के सामान व विवो कम्पनी का मोबाइल तथा ग्राम पहरा की चोरी का सामान जो उसके हिस्से में मिला है जो उसके पास है। मेरे हिस्से में जो मिला था उसे मैं बेचनें के लिए जा रहा था कि आपने मुझें पकड़ लिया। उसमें से जितना सामान मेरे पास से आपने पकड़ लिया है इतना मेरे हिस्से में आया था। बरामद माल के पहचान करने हेतु तीनों मुकदमा के वादियों को जरिये दूरभाष सूचना दिया गया जिसमें कालूपुर पाही में हुई चोरी के वादी मुकदमा मो0 सईम पुत्र हकीम जरिये दूरभाष सम्पर्क कर सूचना देकर मौके पर बुलाया गया जहाँ पर कालूपुर पाही में हुई चोरी के वादी मो0 सईम

द्वारा मौके पर पहुंचकर जेवरात देखकर पहचान किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं चोरी का माल बरामदगी के आधार पर मुकदमा तीनों मुकदमों में धारा 411 भादवि0 की बढ़ोत्तरी की गयी तत्पश्चात गिरफ्तार अभियुक्त शिवबली उपरोक्त को मय बरामद माल के साथ कोतवाली कर्वी में दाखिल किया गया था। दिनाँक 25.07.2024 को प्रातः 04.30 बजे गिरफ्तार अभियुक्त शिवबली उपरोक्त पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया था जिसके सम्बन्ध में कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 482/2024 धारा 261,262 बी0एन0एस0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। इस घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु एसओजी प्रभारी व कोतवाली कर्वी प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिसके क्रम में एसओजी व कोतवाली कर्वी की संयुक्त टीम द्वारा अथक प्रयास कर पुलिस अभिरक्षा से फरार अभियुक्त शिवबली को 17 घण्टे के अन्दर पुनः अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

एसओजी/सर्विलांस टीम

1.प्रभारी एसओजी/सर्विलांस श्री एम.पी त्रिपाठी

2.मुख्य आरक्षी जितेन्द्र कुशवाहा

3.आरक्षी रोहित सिंह

4.आरक्षी गोलू भार्गव

5.आरक्षी पवन राजपूत

6.आरक्षी ज्ञानेश मिश्रा

थाना कोतवाली कर्वी की पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी उपेन्द्र प्रताप सिंह

2.उ0नि0 श्री अनिल कुमार मिश्रा

3.उ0नि0 श्री प्रभुनाथ सिंह

4.मुख्य आरक्षी साबीर हुसैन

5.आरक्षी राहुल देव

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर 01 परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदिका श्रीमती आरती पत्नी राममूरत निवासी भदेदू थाना राजापुर जनपद चित्रकूट ने पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया कि उनके पति श्री राममूरत पुत्र मइयादीन निवासी रघुवंशीपुर थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट एवं ससुराल पक्ष द्वारा गाली गलौज,मारपीट व लड़ाई झगड़ा कर प्रताड़ित करते है एवं दहेज की मांग करते हैं। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। परिवार परामर्श केन्द्र प्रभारी उ0नि0 श्रीमती गुड्डी देवी, महिला आरक्षी शिवांगी श्रीवास्तव द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय

स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया । दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में मारपीट,गाली गलौज व लड़ाई झगड़ा न करने तथा परिवारिक कर्तव्यों का पालन करने की बात कही गयी । आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़े को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीमः-

1.प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र उ0नि0 श्रीमती गुड्डी देवी

2.महिला आरक्षी शिवांगी श्रीवास्तव

(5). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी प्रदीप कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री पीयूष कुमार यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश सिविल जज(जू0डि0) श्रीमती शैफाली यादव द्वारा थाना कोतवाली में पंजीकृत मु0अ0सं0 625/2012 धारा 279,337,338 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त रज्जन यादव पुत्र ननकावन निवासी गौबरौल थाना राजापुर जनपद चित्रकूट 1600 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्रीमती रीता सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अवधनारायण एवं उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 384/2018 धारा 384,506 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र राजेंद्र प्रसाद निवासी ग्राम व थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्री अवधनारायण थाना पहाड़ी

2.आरक्षी दीपक

3.आरक्षी गुड्डू सिंह

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे #OperationConviction के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी प्रशांत कुमार तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी तथा उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता श्री अजय कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चित्रकूट श्री अनुराग कुरील द्वारा पुलिस मुख्यालय से

पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 1117/2017 धारा 308,504,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त प्रमोद मौर्या पुत्र मेवालाल निवासी सुदामापुरी थाना अतर्रा जनपद बांदा को 03 वर्ष 11 माह 10 दिन के कारावास से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनाँक 24.12.2017 को वादी विनीत कुमार ने कोतवाली कर्वी पर सूचना दी कि अभियुक्तगणों(1.गया प्रसाद पुत्र देवीदीन निवासी भरकौरी थाना पहाड़ी 2. प्रमोद उपरोक्त) द्वारा वादी के चाचा विष्णु नारायण को पत्थर मार देना जिससे चाचा का बेहोश होकर गिर जाना तथा जान से मारने की धमकी देना कि सूचना पर कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 1117/2017 धारा 308,504,506 भादवि0 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0श्री मोहम्मद अकरम द्वारा की गई। अभियुक्त को दिनांक 24.12.2017 को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरुद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 04.02.018 को आरोप-पत्र प्रेषित किया गया था।

(8). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्रीमती रीता सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अबरार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री पीयूष कुमार यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश सिविल जज(सी0डी0) श्री सूर्यकांत धर दुबे द्वारा थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 154/2017 धारा 323,504 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त समीर उर्फ मुसवा पुत्र नत्थू प्रसाद निवासी डड़ौली थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को 1000 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।